चिकित्सा प्रणाली से चिकित्सा कार्य करने के लिए इन प्रमाणिक पुस्तकों के संदर्भ जरूरी हैं। विभिन्न होम्योपैथिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा विभिन्न कोर्सों के लिए ये पुस्तके पाठ्य-पुस्तकों और संदर्भ ग्रन्थों के रूप में निर्धारित की गई हैं और उनके पाठ्य विषयों में और पाठयचर्याओं में शामिल की गई हैं। तथापि यह कहना शायद ठीक नहीं होगा कि बिना इन पुस्तकों के संदर्भ के होम्योपैथी अर्थहीन और लोग उसके लाभों से वंचित रह जायेंगे क्योंकि मेटीरिया मेडिका प्यूरा में केवल 67 औषधियो के गुण-धर्म वर्णित है जो सभी रोगों के इलाज के लिए अपर्याप्त है। यद्यपि मास्टर हनेमन केवल इन 67 औषधियों के गुण-धर्म रिकार्ड कर सके है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना सही नही होगा कि मेटीरिया मेडिका प्यूरा होम्योपथी मेटीरिया मेडिका पर ग्रह्य वाक्य हैं। इस समय लगभग 800 होम्योपैथिक दवाइयां प्रचलन में है जो मास्टर हनेमन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार तैयार की गई हैं और जिन्हें तैयार करने के प्रयोगों का ब्यौरा विभिन्न मानक पुस्तकों जैसे एलेन्स इन साइक्लोपीडिया, हेरिंग्स गाइडिंग सिम्पटम्स और क्लाक्स डिक्शनरी आव प्रेक्टिकल मेटीरिया मेडिका आदि मे दिया हुआ है।

(ख) और (ग). भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की प्रैक्टिस को विनियमित करने के प्रश्न की जाच करने के लिए सरकार ने एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की थी। लेकिन बाद मे 1971 में होम्योपैथी का एक अलग विधेयक संसद में पेश किया गया। इसे दूसरी विशेष संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया। यह समिति देश भर के विभिन्न संस्थानों मे गई और उसने देश के विभिन्न भागों में होम्योपैथी के विशेषज्ञों, शिक्षा-विदों और प्रमुख चिकित्सकों से प्रमाण एकत्र किये। इन प्रमाणों के आधार पर संसद में एक विधेयक पेश किया गया जो बाद में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 बन गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की स्थापना हुई ताकि देश में होम्योपथी चिकित्सा के लिए विनियम निर्धारित किये जाये और होम्योपथी के उपयुक्त शिक्षक मानक निर्दिष्ट किये जायें। ये मानक और विनियम होम्योपैथी के मूल सिद्धान्तो के अनुसार बनें, यह देखने के लिए सरकार उचित सावधानी बरतेगी और इस प्रकार यह सन्देह करने का कोई कारण नहीं है कि देश में लोगो को शुद्ध होम्योपथिक उपचार उपलब्ध नही है।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति

4932. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपनी साधिकार पुस्तक "आर्गेनन आफ मेडिसन" की अवहेलना करके जनता को सफल परिणाम नही दे सकती है मगर देश में जो कुछ इस नाम से चलाया जा रहा है वह अधिकाश रूप मे इसकी अवहेलना करके चलाया जा रहा है, और

(ख) यदि हा, तो होम्योपथी को आर्गेनन बद्ध चलाये जाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) "आर्गेनन आफ मेडिसिन" मास्टर हनेमन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें उसने होम्योपेंथी के सिद्धान्तों का वर्णन किया है और बीमार व्यक्ति का होम्योपैथी चिकित्सा से इलाज करने के लिए विभिन्न अनुदेश, नियम और विनियम दिये है। इसके सिद्धान्तिक पक्ष में होम्योपैथी विज्ञान के बुनियादी सिद्धान्त हैं और इसके प्रायोगिक पक्ष में बीमार व्यक्ति पर इसका प्रयोग करने के लिए विभिन्न निर्देश

दिये हुए हैं। यह एक निश्चित बात है कि "आर्गेनन आफ मेडिसिन" की उपेक्षा करके होम्योपथिक चिकित्सा पद्धति सफल नहीं हो सकती। यह कहना सही नहीं है कि देश में होम्योपैथी के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें अधिकतर उक्त पुस्तक की उपेक्षा की जा रही है। होम्योपैथी की प्रत्येक शिक्षा संस्था में "आर्गेनन आफ मेडिसिन" को पढाया जाना अनिवार्य है और यह उनके पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या में भी शामिल है। प्रत्येक विद्यार्थी को निर्धारित समय तक "आर्गेनन आफ मेडिसिन" का अध्ययन करना पड़ता है और उसे उत्तीर्ण होने से पहले इसकी विशिष्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होना पडता है। सरकार एक जैसा पाठ्यक्रम निर्धारित कर, जिसमें विभिन्न विषयो के अलावा "आर्गेनन आफ मेडिसिन" का विस्तृत अध्ययन भी निहित होगा, देश मे होम्योपैथिक शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए प्रयत्न कर रही है।

(ख) यह प्रश्न नही उठता।

Earnings from P.C Os. and P.C.O. proposed to be given in Assam

4933 SHRI AHMED HUSSAIN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state·

(a) the amount earned, year-wise 'A', 'B' and 'C' Class Cities of our country during the last three years ending 31-12-77, and

(b) the number of PCOs proposed to be increased by the end of the current year in the state of Assam and the places where PCO will be established?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Insurance of agricultural labour

4934. SHRI YADVENDRA DUTT: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating any scheme for the life insurance of agricultural Labour; and

(b) if so, the brief outline thereof; and if not, why not?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI): (a) and (b). There is no such proposal under consideration of the Government. However, as a result of the Special Conference on Rural Unorganised Labour held on 25th January 1978, there is a proposal to constitute a Central Standing Committee on Rural Unorganised Labour to look into the entire question of welfare and conditions of service of the rural unorganised workers.

Alcoholic drinks and narcotic drugs among college students

4935. SHRI SHYAM SUNDAR GUPTA): Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether a survey was undertaken by the United Nations in relation to the use of alcoholic drinks and narcotic drugs among college students; and

(b) if so, the number of such surveys so far undertaken by the World body and what were the conclusions arrived at?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Government are not aware of any such survey having been undertaken.

(b) Does not arise.